
9. सावधानी नोटिस, गैर-प्रकटीकरण समझौता और अनुचित साधन/ Caution Notice, Non- Disclosure Agreement and Unfair Means

A.सावधानी सूचना Caution Notice

- 9.1. एनबीईएमएस की आधिकारिक वेबसाइट www.natboard.edu.in और <https://nbe.edu.in> है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे एनबीईएमएस और एनबीईएमएस द्वारा आयोजित परीक्षाओं के बारे में किसी भी जानकारी के लिए केवल इन वेबसाइट लिंक के माध्यम से देखें। कृपया एनबीईएमएस वेबसाइट <https://nbe.edu.in> पर एफएमजीई इंडेक्स पेज और एफएमजीई के बारे में प्रामाणिक जानकारी और आवधिक अपडेट के लिए उसमें अपलोड किए गए सूचना बुलेटिन देखें। The official website of NBEMS are www.natboard.edu.in and <https://nbe.edu.in> Candidates are advised to refer for any information about NBEMS and Examinations conducted by NBEMS only through these websites links. Please refer FMGE index page on NBEMS website <https://nbe.edu.in> and Information Bulletin uploaded therein for authentic information and periodic updates about the FMGE.
- 9.2. उम्मीदवारों को एतद्वारा सलाह दी जाती है कि वे धोखेबाज एजेंटों / दलालों द्वारा किसी भी तरह से किसी भी उम्मीदवार की मदद करने के झूठे और फर्जी दावों के लिए ऐसे नकली ईमेल / एसएमएस या जाली दस्तावेजों द्वारा बहकाए या गुमराह न हों। Candidates are hereby advised not to be allured or mislead by unscrupulous agents /touts making false and bogus claims of helping any candidate in any means by such spoofed emails/SMS or forged documents.

-
- 9.3. एनबीईएमएस द्वारा आयोजित किसी भी परीक्षा में अच्छे अंक / योग्यता की स्थिति हासिल करने के संबंध में एनबीईएमएस उम्मीदवारों को कोई ईमेल या एसएमएस नहीं भेजता है। NBEMS does not send any email or SMS to candidates regarding securing good marks/merit position in any of the exams conducted by NBEMS.
- 9.4. एनबीईएमएस के नाम से कोई ईमेल या एसएमएस प्राप्त करते समय सावधान रहें, कृपया संबंधित ईमेल/एनबीईएमएस वेबसाइट अपडेट के साथ एनबीईएमएस के नाम पर एसएमएस के माध्यम से प्राप्त जानकारी को क्रॉस सत्यापित करें। Be aware when getting any email or SMS in the name of NBEMS, please cross verify information received through SMS in name of NBEMS with a corresponding Email/NBEMS Website update.
- 9.5. उम्मीदवारों को एनबीईएमएस के साथ संचार के लिए ईमेल आईडी/संपर्क नंबरों का उपयोग करने की भी सलाह दी जाती है जो एनबीईएमएस वेबसाइटों पर समय-समय पर उपलब्ध कराए जाते हैं। Candidates are also advised to use the email IDs/contact numbers for communication with NBEMS which are provided on the NBEMS websites time to time.
- 9.6. यदि किसी बेईमान एजेंट / दलाल द्वारा किसी भी नकली ईमेल / एसएमएस या टेलीफोन कॉल या जाली दस्तावेजों के माध्यम से किसी भी तरह के अनुचित पक्ष का वादा करने वाले उम्मीदवारों से संपर्क किया जाता है या व्यक्तिगत रूप से इसकी सूचना एनबीईएमएस को ईमेल mail@natboard.edu.in या स्थानीय को दी जा सकती है। आगे की जांच के लिए पुलिस। In case candidates are approached by any unscrupulous agents/touts promising any such undue favour through any spoofed emails/SMS or telephone call or forged documents or personally the same may be reported to NBEMS through email mail@natboard.edu.in or to the local police for further investigation.

B.गैर प्रकटीकरण समझौता Non Disclosure Agreement

- 9.7. एफएमजीई एक स्वामित्व परीक्षा है और केवल एनबीईएमएस द्वारा आयोजित की जाती है। इस परीक्षा की सामग्री गोपनीय, स्वामित्व वाली है और एनबीईएमएस के स्वामित्व में

है। एनबीईएमएस स्पष्ट रूप से उम्मीदवार को इस परीक्षा की किसी भी या कुछ सामग्री को किसी भी रूप में या किसी भी रूप में मौखिक या लिखित, इलेक्ट्रॉनिक या यांत्रिक किसी भी उद्देश्य के लिए पुनः प्रस्तुत करने, प्रसारित करने या प्रकाशित करने से रोकता है। एनबीईएमएस उत्तर कुंजी / उत्तर पुस्तिकाओं सहित परीक्षा की किसी भी सामग्री को साझा करने के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं करेगा। FMGE is a proprietary examination and is conducted only by NBEMS. The contents of this exam are confidential, proprietary and are owned by NBEMS. NBEMS explicitly prohibits the candidate, from reproducing, transmitting or publishing any or some contents of this exam, in whole or in part, in any form or by any means verbal or written, electronic or mechanical for any purpose whatsoever. NBEMS shall not entertain any request for sharing any content of the examination including answer keys/ answer sheets.

- 9.8. ऑनलाइन माध्यमों या सोशल मीडिया के माध्यम से साझा करने सहित इस परीक्षा की कोई भी सामग्री दोस्तों, परिचितों या तीसरे पक्ष के साथ साझा नहीं की जानी चाहिए। सोशल मीडिया में एसएमएस, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, हैंगआउट, ब्लॉग आदि का अपना खाता या प्रॉक्सी खाता (खातों) का उपयोग करना शामिल है। No content of this exam must be shared with friends, acquaintances or third parties including sharing through online means or via social media. Social media includes but not limited to SMS, Whatsapp, Facebook, Twitter, Hangouts, Blogs etc. using either one's own account or proxy account(s).
- 9.9. एफ़एमजीई के लिए पंजीकरण और/या उपस्थित होकर उम्मीदवार स्पष्ट रूप से उपरोक्त गैर प्रकटीकरण समझौते और एफ़एमजीई के लिए उपयोग की सामान्य शर्तों से सहमत हैं जैसा कि इस सूचना बुलेटिन, एफ़एमजीई वेबसाइट में निहित है। By registering for and /or appearing in FMGE the candidate explicitly agrees to the above Non Disclosure Agreement and general terms of use for FMGE as contained in this Information Bulletin, FMGE website.
- 9.10. किसी भी अधिनियम का उल्लंघन दंडात्मक कार्रवाई और उम्मीदवारी को रद्द करने के लिए उत्तरदायी होगा। Violation of any act or breach of the same shall be liable for penal action and cancellation of the candidature.

C. अनुचित साधन/Unfair Means

यदि प्रशिक्षण/परीक्षा के दौरान, कोई उम्मीदवार निम्नलिखित में से किसी एक में भी लिप्त पाया जाता है, तो उसे अनुचित साधनों का उपयोग करने वाला माना जाएगा। If during the course of training/examination, a candidate is found indulging in any of the following, he/she shall be deemed to have used unfair means.

- 9.11. यदि यह पाया जाता है कि किसी उम्मीदवार ने परीक्षा/काउन्सलिंग/प्रशिक्षण में प्रवेश के लिए अपने आवेदन पत्र में गलत बयान दिया है या झूठा बयान या झूठा/जाली दस्तावेज पेश करके एनबीईएमएस के किसी भी परीक्षा/पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने का प्रयास किया है या सुरक्षित करने का प्रयास किया है। If a candidate is found to have made a wrong statement in his/her application form for appearance in the examinations /counseling /admission to the training or has attempted to secure or has secured admission to any of the examinations/courses of NBEMS by making a false statement or by production of a false/forged document .
- 9.12. यदि किसी भी स्तर पर किसी उम्मीदवार ने प्रमाण पत्र या अंकों के विवरण या किसी सरकारी या गैर-सरकारी निकाय द्वारा जारी किसी प्रमाण पत्र या एनबीईएमएस द्वारा उसे जारी किए गए किसी अन्य दस्तावेज में किसी भी प्रविष्टि के साथ छेड़छाड़ की है। If at any stage a candidate has tampered with any entry in the certificate or statement of marks or any certificate issued by any governmental or non-governmental body or any other document that has been issued to him/ her by NBEMS.
- 9.13. इंटरनेट के साथ या बिना, मोबाइल फोन सहित किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का उपयोग/कब्जा (चाहे गैजेट्स वास्तव में उपयोग किए गए हों या नहीं)। Use/possession of any kind of electronic gadgets including mobile phones with or without internet (whether the gadgets are actually used or not).
- 9.14. एक उम्मीदवार को अपने कपड़ों, शरीर, डेस्क या टेबल या उपकरण जैसे सेटस्क्वेयर, प्रोट्रेक्टर, स्केल आदि के किसी भी हिस्से पर लिखे गए नोटों की नकल करते हुए पाया जाता

है या जो किसी नोट को छिपाने, विकृत करने, पढ़ने योग्य बनाने, निगलने या नष्ट करने का दोषी पाया जाता है या उसके पास पाए गए कागज या सामग्री या उत्तर पुस्तिका या प्रश्न पत्र का हल के साथ आदान-प्रदान करते हुए या किसी व्यक्ति से बात करते हुए या परीक्षा हॉल के बाहर, शौचालय या शौचालय में जाते समय नोट्स या पुस्तकों पर परामर्श करते हुए पाया गया। A candidate found copying from notes written on any part of his/her clothing, body, desk or table or instrument like setsquares, protractors, scales etc. or who is found guilty of concealing, disfiguring, rendering illegible, swallowing or destroying any notes or papers or material found with him/her or found exchanging answer book or question paper with solution or talking to a person or consulting notes or books outside the Examination Hall, while going to the toilet or in the toilet.

- 9.15. किसी भी प्रकार की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहायता देना या प्राप्त करना या ऐसा करने का प्रयास करना। Giving or receiving assistance directly or indirectly of any kind or attempting to do so.
- 9.16. परीक्षा पत्र से संबंधित, विषय से संबंधित किसी भी नोटबुक या नोट्स या चिट या किसी अन्य अनधिकृत सामग्री के कब्जे में होना। Having in possession of any note-book(s) or notes or chits or any other unauthorized material concerning the subject pertaining to the examination paper.
- 9.17. परीक्षा अधीक्षक/प्रभारी कम्प्यूटर प्रयोगशाला की अनुमति के बिना सीट/प्रणाली में परिवर्तन। Change of seat/system without the permission of Examination Superintendent/ In charge Computer Laboratory.
- 9.18. परीक्षा केंद्र/कम्प्यूटर प्रयोगशाला में परीक्षा के समय परीक्षा स्टाफ के अलावा किसी अन्य व्यक्ति से संपर्क करना या संवाद करना या ऐसा करने का प्रयास करना। Contacting or communicating or trying to do so with any person, other than the Examination Staff, during the examination time in the examination center/ Computer Laboratory.
- 9.19. परीक्षा हॉल/कंप्यूटर प्रयोगशाला से शौचालय या किसी अन्य स्थान पर जाते समय नोट्स, किताबें या कोई अन्य सामग्री या बाहरी व्यक्ति से परामर्श करना। Consulting notes,

books or any other material or outside person while going out of the examination hall/Computer Laboratory to toilet or to any other place.

9.20.प्रतिरूपण। Impersonation.

9.21.परीक्षा केंद्र में प्रवेश लेने के लिए फोटो पहचान में जालसाजी/इस उद्देश्य के लिए झूठे दस्तावेज प्रस्तुत करना। Forgery in photo identification produced to seek entry in the test centre/producing false documents for the purpose.

9.22.परीक्षा के संबंध में किसी अन्य अवांछनीय तरीके या साधन का उपयोग करना या प्रयोग करने का प्रयास करना। Using or attempting to use any other undesirable method or means in connection with the examination.

9.23.उसके पास पाए गए किसी नोट या कागज या सामग्री को लेकर भागना या निगलना या नष्ट करना। Running away or swallowing or destroying any note or paper or material found with him/her.

9.24.परीक्षा संचालन से जुड़े किसी अधिकारी को धमकाना या किसी भी अभ्यर्थी को धमकाना। Threatening any of the officials connected with the conduct of the examinations or threatening of any of the candidates.

9.25.दूसरे उम्मीदवार के कंप्यूटर मॉनिटर स्क्रीन में झांकना। Peeping into the computer monitor screen of the other candidate.

9.26.अपनी पहचान का खुलासा करना या उस उद्देश्य के लिए उत्तर पुस्तिका में विशिष्ट अंक बनाना या परीक्षा हॉल छोड़ने से पहले अपनी उत्तर पुस्तिका/निरंतरता पत्र देने में विफल होना। Disclosing his/her identity or making distinctive mark in the answer book for that purpose or fails to deliver his/her answer book/continuation sheet before leaving the examination hall.

-
- 9.27. एनबीईएमएस या उसके प्रौद्योगिकी भागीदारों या उनकी सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियों की वेबसाइट को हैक करना या हैक करने का प्रयास या हस्तक्षेप करना। Hacking or attempting to hack or causing interference with the website of NBEMS or its Technology Partner(s) or their Information Technology systems.
- 9.28. एनबीईएमएस या प्रौद्योगिकी भागीदार (ओं) या कंप्यूटर प्रयोगशाला की सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियों के साथ छेड़छाड़। Tampering with Information Technology systems of NBEMS or Technology Partner(s) or Computer Laboratory.
- 9.29. कंप्यूटर प्रयोगशाला के कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचाना। Damaging the computer systems of computer Laboratory.
- 9.30. एफएमजीई में उपस्थित होने वाला उम्मीदवार किसी भी अन्य एनबीईएमएस परीक्षा में बैठने के लिए अपात्र है, जब तक कि उम्मीदवार एफएमजीई उत्तीर्ण नहीं कर लेता है और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया / नेशनल मेडिकल कमीशन या स्टेट मेडिकल काउंसिल द्वारा पंजीकृत है। एक उम्मीदवार जो एक ही सत्र में एफएमजीई और अन्य परीक्षाओं में भी शामिल हो रहा है, वह संभवतः झूठी सूचना/दस्तावेज प्रस्तुत कर एक अनुचित साधन के इस्तेमाल का मामला है और तदनुसार निपटा जाना चाहिए। Candidate appearing in FMGE is ineligible to appear in any other NBEMS exams till such time the candidate qualifies FMGE and is registered by Medical Council of India / National Medical Commission or State Medical Council, a candidate appearing in FMGE and other exams in the same session by producing false information/documents is an unfair means case and is to be dealt accordingly.
- 9.31. उम्मीदवार ने व्यक्तिगत रूप से या किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से किसी परीक्षक, या एनबीईएमएस या उसके प्रौद्योगिकी भागीदार की परीक्षाओं से जुड़े किसी अधिकारी या अधिकारी को परीक्षाओं से संबंधित किसी भी मामले में एनबीईएमएस या प्रौद्योगिकी भागीदार या उनके कार्यालय में अथवा संबंधित निवास (ओं) में प्रभावित करने या दबाव डालने का प्रयास किया है। Candidate found to have attempted or trying to attempt personally or through another person to influence or pressurize an examiner, or any officer or official connected with the

examinations of the NBEMS or its technology partner, either at NBEMS or at the office of technology partner or their respective residence(s), in any matter concerned with the examinations.

- 9.32. ऊपर बताए अनुसार एनडीए का उल्लंघन करने वाले किसी भी उम्मीदवार को यूएमसी माना जाएगा। Any candidate violating the NDA as detailed above will be treated as UMC.
- 9.33. यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि उम्मीदवार परीक्षा के एक ही सत्र में कई बार उपस्थित हुए हैं या अलग-अलग नामों से एनबीईएमएस की एक ही या अलग-अलग परीक्षा में उपस्थित हुए हैं, तो ऐसे उम्मीदवार के खिलाफ अनुचित साधन का मामला दर्ज किया जाएगा और तदनुसार कार्रवाई की जाएगी। If at any stage if it is found that the candidate has appeared multiple times in the same session of examination or has appeared in same or different examination of NBEMS with different names, unfair means case shall be registered against such candidate and dealt accordingly.
- 9.34. उम्मीदवार/किसी भी व्यक्ति का कोई भी कार्य जो परीक्षा के सुरक्षित और सुचारु संचालन के लिए हानिकारक है और इस संबंध में ईईसी का निर्णय अंतिम होगा। Any act of candidate/any person which is detrimental to safe, secure and smooth conduct of examination and the decision of EEC in this regard shall be final.
- 9.35. परीक्षार्थी परीक्षा कक्ष में परीक्षा के घंटों के दौरान किसी अन्य उम्मीदवार से बात करते / झाँकते हुए पाए जाते हैं। Candidate is found talking/peeping to another candidate during the examination hours in the examination room.
- 9.36. एक उम्मीदवार जो परीक्षा केंद्र / कंप्यूटर लैब के अधीक्षक का पालन करने से इनकार करता है और किसी अन्य उम्मीदवार के साथ अपनी सीट बदलता है और / या परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की गड़बड़ी करता है और / या अन्यथा परीक्षा हॉल में दुर्व्यवहार करता है। A candidate who refuses to obey the Superintendent of Examination center/Computer Lab and changes his/her seat with another candidate and/or creates disturbance of any kind during

the examination and/or otherwise misbehaves in the examination hall.

9.37. किसी भी उम्मीदवार को उपरोक्त में से किसी एक या अधिक अनुचित साधनों / कदाचार को अपनाने का दोषी पाया जाता है, परीक्षा आचार समिति द्वारा दंड के साथ दंडित किया जा सकता है, जो परीक्षा को रद्द करने / अगले 14 प्रयासों से या 7 वर्षों तक निष्कासन हो सकता है और / या उम्मीदवारी को रद्द करना जैसा कि परीक्षा आचार समिति द्वारा प्रत्येक मामले पर विचार करने के बाद निर्णय लिया जा सकता है। Any candidate found guilty of having adopted anyone or more of the above Unfair means/misconduct is liable to be penalized with a penalty by the Examination Ethics Committee, which may vary from cancellation of the examination/ expulsion up to next 14 attempts or 7 yrs and/ or cancellation of candidature as may be decided by Examinations Ethics Committee after considering each case.

9.38. **अस्वीकरण:** उपरोक्त सूची विशुद्ध रूप से सांकेतिक है। यदि परीक्षा की पवित्रता को भंग करने के लिए उम्मीदवार द्वारा उम्मीदवार/इरादे को जिम्मेदार ठहराया गया चूक या कमीशन का कोई भी कार्य, एनबीईएमएस का निर्णय अंतिम होगा और किसी भी व्यक्ति/उम्मीदवार को पूर्णगामी या इस तरह के अपराध के लिए दोषी घोषित करने के लिए बाध्यकारी होगा जैसा कि वर्गीकृत किया जाएगा। **Disclaimer:** The above list is purely indicative. If any act of omission or commission attributed to the candidate/intent by the candidate to vitiate the sanctity of the examination, the decision of NBEMS shall be final and binding for declaration of any person/candidate guilty of foregoing or such offence as shall be classified as UMC.